5.10.23 अधिवक्ता वादी उपस्थित। अधिवक्ता वादी को बहस सुनी
गई। वादी पक्ष की ओर से प्रस्तुत
लिखित बहस का अध्ययन
किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध
रिकॉर्ड का अवलोकन किया।
वादीगण का वाद डिक्री
किया जाता है। जिसका पृथक
से विस्तृत निर्णय लिखा
गया। शामिल पत्रावली किया
जावे। पत्रावली निर्णित होकर
[illegible] दर्ज रजिस्टर होकर [illegible] हो।

उपखण्ड अधिकारी
[illegible] कोटपूतली

12/8/23 पत्रावली आज प्रार्थी [illegible]
अ.-3 के प्रार्थना-पत्र 151/152
CPC प्रस्तुत होने पर अवलोकन
की गयी। प्रार्थी को प्रार्थना-पत्र
पर सुना गया। प्रार्थी ने अपने
प्रार्थना-पत्र में वर्णित तथ्यों
को दोहराते हुए प्रार्थना-पत्र

उपखण्ड अधिकारी
[illegible] कोटपूतली

मु.नं. 250/2024 गोविन्दा बनाम उमराव कोर
दावा विभाजन/[illegible]

स्वीकार करने का निवेदन किया।

हमने पक्षों के तर्कों पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया कि टाइपिंग के स्वरूप से लिपिकीय त्रुटि है कि इस न्यायालय के निर्णय एवं डिक्री दिनांक 4.10.23 में वादी के स्थान में वादी सं. 1/3/1 रमेश पुत्र स्व. मूलचन्द लिखा जाने से रह गया। इसी प्रकार वादी सं. 3 का नाम राजकुंवार की जगह राजकुमार स्वरूप से लिखा जाना गया जिसको दुरुस्त किया जाना न्यायसंगत है। चूंकि उक्त त्रुटि एक लिपिकीय स्वरूप की भूल से होनी है।

उक्त प्रार्थना-पत्र 151, 152 CPC स्वीकार किया जाता है। वादी सं. 1/3 मूलचन्द पुत्र गोविन्दा (फौत) माना जावे तथा वादी सं. 1/3/1 पर रमेशचन्द पुत्र स्व. मूलचन्द माना जावे। इस प्रकार आगे भी इसमें टाइपिंग में मानी जावे। वादी सं. 3 का नाम राजकुमार की जगह राजकुंवार माना जावे। उक्त संशोधन

उपखण्ड अधिकारी
जैतपुरा, ... -बहरोड़

मु० नं० 250/2005 गोविन्दा बनाम उमराव को

दावा घोषणात्मक

निर्णय एवं डिक्री में लाल स्याही से किया जावे तदनुसार निर्णय फैसला जावे। पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
कोटपूतली, जिला-कोटपूतली-बहरोड़